



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 13 जुलाई, 2021
आषाढ़ 22, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
चीनी उद्योग अनुभाग-3

संख्या 2/2021/871-46-3-2021-58(120)/2008
लखनऊ, 13 जुलाई, 2021

शुद्धि-पत्र

प०आ०-217

उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 से संबंधित अधिसूचना संख्या 50/2015/2341 सी0डी0-46-3-58(120)/2008, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के हिन्दी संस्करण में नियम 8 में सीधी भर्ती के लिये पहली जुलाई को आयु सीमा 18 वर्ष त्रुटिवश उल्लिखित हो गयी है, जबकि अंग्रेजी संस्करण में उक्त नियम 8 में सीधी भर्ती के लिये पहली जुलाई को आयु सीमा 21 वर्ष उल्लिखित है।

अतः उक्त उत्तर प्रदेश गन्ना पर्यवेक्षक (समूह-तीन) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2015 से संबंधित अधिसूचना संख्या 50/2015/2341 सी0डी0-46-3-58(120)/2008, दिनांक 29 सितम्बर, 2015 के हिन्दी संस्करण में नियम 8 में सीधी भर्ती के लिये पहली जुलाई को उल्लिखित आयु सीमा "18 वर्ष" के स्थान पर "21 वर्ष" पढ़ा जाय।

आज्ञा से,
संजय आर0 भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।